न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

बाबूलाल बनाम राज्य सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 53/2022

21–03–2022	वादी की ओर से एडवोकेट श्री रामजीलाल मीणा ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक 08–04–2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	नोटिस 1279-81 21-3-22
08/04/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 2 कानाराम पुत्र नारायण बलाई व प्रतिवादी सं० 3 भगवान सहाय पुत्र नारायण बलाई स्वयं उपस्थित। इन्होंने अपनी पहचान के लिये आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जो शामिल हो तथा अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि वाद पत्र के मद सं० 1 ता 4, 10 स्वीकार है ग्राम रामपुरा वास रामगढ़ के ख० नं० 269, 271, 279, 280, 281, 282, 283, 270, 272, 273 में प्रतिवादी सं० 2, 3 के हिस्सा 1/10 के स्थान पर [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	बाबूलाल कानाराम भगवानसहाय

मु०नं० 53/2022

कादूलाल बनाम तारा व अन्य

वादी का नाम घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है

वाद का संक्षेप विवरण इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० 101/1, से 101/9 कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा के हाल ख०नं० 269 रकबा 1.9300 हे०, ख०नं० 271 रकबा 0.0100 हे०, ख०नं० 279 रकबा 0.1800 हे०, ख०नं० 280 रकबा 0.8700 हे०, ख०नं० 281 रकबा 0.1500 हे०, ख०नं० 282 रकबा 0.3000 हे०, ख०नं० 283 रकबा 0.2100 हे०, कुल किता 7 कुल रकबा 3.6500 हे०; ख०नं० 270 रकबा 0.1500 हे०, ख०नं० 272 रकबा 0.7700 हे०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.9200 हे०. ख०नं० 273 रकबा 0.2400 हे०, वाके ग्राम रामपुराबास रामगढ़ पचवारा हल्का रायवास तहसील जमवारामगढ़ में स्थित हो उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 क्रय शुदा भूमियां है, उक्त भूमियों का विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज हो चुका हो तथा उसके बाद संवत 2053 से 56 की जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 का नाम दर्ज हो चुका है तथा उसके बाद संवत 2057 से 60, 61 से 64 व 2065 से 68 की जमाबन्दी में से वादी का नाम हजफ कर दिया गया। और उक्त भूमियों को प्रतिवादी सं०2 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया। जो राजस्व कर्मचारियों की भूल व चूक है

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय ______________________________

बाबूलाल ______ **बनाम** ______ सरकार व अन्य

वाद संख्या / वर्ष : 53 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नाधीन भूमि ख०न० 269, 271, 279, 280, 281, 282, 283, 272, 270, 273 वाके ग्राम रामपुरावास रामगढ़ पचवारा हल्का रूपवास तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में प्रतिवादी स० 2 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1|10 भाग के रिकार्ड को दुरूस्त कर उनके स्थान पर वादी का नाम व प्रतिवादी स० 2 ता 3 के साथ घोषित करते हुये बाबूलाल हिस्सा 1|30 भाग, कान्ता हिस्सा 1|30, भगवानसहाय हिस्सा 1|30 भाग घोषित किया जावे। वकील वादी व प्रतिवादी स० 2 ता 3 की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी स० 2 ता 3 ने क्रय किया था जिसका नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में अमल हो गया था लेकिन संवत 2057 से 2060 की जमाबन्दी में वादी का नाम हटाकर उक्त भूमि प्रतिवादी स० 2 ता 3 के नाम दर्ज की गई। उक्त की गई कार्यवाही न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

बाबूलाल